संख्या-80/2019/2129/22-2-2019-17(819)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 14 अगस्त, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-22561/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-22.07.2019) दिनांक-23.07.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती पुत्र श्री सुशील कुमार जो निवासी-अलैइयापुर, थाना-राजा का रामपुर वर्तमान पटियाली जनपद-एटा वतर्मान कासगंज का रहने वाला है। बंदी ने सुशील कुमार के पुत्र के मारे जाने की रंजिश में दिनांक 11.10.1998 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, एटा के आदेश दिनांक 25.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बंदी के अपराधिक प्रवृत्ति का होने व विवाद **विद्यमान** होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने सुशील कुमार के पुत्र के मारे जाने की रंजिश में दिनांक 11.10.1998 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की लगभग आयु 55 वर्ष है तथा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती पुत्र श्री सुशील कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा प्रश्नगत प्रकरण में एस0एल0पी0 (क्रिमिनल) संख्या-2186 /2018 ब्रहम किशोर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2019 के क्रम में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती (बन्दी संख्या-19505) पुत्र श्री सुशील कुमार, निवासी जनपद-एटा वर्तमान जनपद-कासगंज के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2019/2129(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-कासगंज।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-80/2019/2129/22-2-2019-17(819)/2019

दिनांक 14 अगस्त, 2019 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती पुत्र श्री सुशील कुमार जो निवासी-अलैइयापुर, थाना-राजा का रामपुर वर्तमान पटियाली जनपद-एटा वतर्मान कासगंज का रहने वाला है। बंदी ने सुशील कुमार के पुत्र के मारे जाने की रंजिश में दिनांक 11.10.1998 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-227/1999 भा0द0सं0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-1, एटा के आदेश दिनांक 25.11.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक कासगंज द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने से इंकार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने, बंदी के अपराधिक प्रवृत्ति का होने व विवाद **विद्यमान** होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने सुशील कुमार के पुत्र के मारे जाने की रंजिश में दिनांक 11.10.1998 को अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी तमंचे से गोली मारकर डा0 सुरेन्द्र नाथ मिश्रा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की लगभग आयु 55 वर्ष है तथा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज ने निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोवेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ब्रहम किशोर उर्फ लड़ैती पुत्र श्री सुशील कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in